भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. +1043
सोमवार, 26 जुलाई, 2021/4 श्रावण, 1943 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

घरेलू पर्यटकों से उत्पन्न राजस्व

+1043. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान घरेलू पर्यटकों की संख्या कितनी रही तथा राष्ट्रीय स्तर पर और प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया;

(ख) देश में विरासत स्थलों पर घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या पर्यटकों की संख्या बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के लिए सरकार द्वारा किसी स्थल की पहचान की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को बिहार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) कोविड वैश्विक महामारी के आलोक में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्यटकों की संख्या को पुन: बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क): पिछले 5 वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार घरेलू पर्यटक यात्राओं (डीटीवी) का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार पर्यटन से उतपन्न राजस्व पर आंकड़े नहीं रखता है।

(ख): देश में विरासत स्थलों पर घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदम नीचे दिए गए हैं:

i. वर्तमान परिदृश्य में, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध लगाया गया है जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्रभावित हुई है, अत: मंत्रालय द्वारा "देखो अपना देश" अभियान के तहत घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने और देश में विरासत स्थलों पर यात्रा करने पर अत्याधिक ध्यान दिया जा रहा है। पर्यटकों और पर्यटन बिरादरी के बीच विश्वास की पुर्नस्थापना करना पर्यटन मंत्रालय की परम प्राथमिकता बन गया है। स्थानीय लैंडिंग के रुप में घरेलू पर्यटन उत्पादों जैसे अल्पज्ञात विरासत स्थलों, परम्पराओं से संबंधित वृतांतों, हमारे देश की संस्कृति और इतिहास जैसे अभिज्ञात किए गए अछूते विषयों पर नियमित रुप से बैबिनार की श्रृंखलाओं का आयोजन किया गया है।

ii. लॉकडाउन के दौरान, देश के महत्वपूर्ण शहरों और वैभवशाली संस्कृतियों/ विरासतों (दिल्ली, चैन्नई, कोलकाता, मुम्बई, बेंगलुरु, उडुपी, औरंगाबाद, प्रतिषठित पर्यटक स्थल) की हवाई फोटोग्राफी।

iii. घरेलू और साथ ही विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया का भी अधिकाधिक रुप से उपयोग किया गया है।

iv. घरेलू के साथ विरासत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केवड़िया (गुजरात), श्रीनगर, गोवा आदि सहित कई स्थानों पर रोड-शो भी आयोजित किए गए हैं।

(ग) से (घ): पर्यटन का विकास और पहचान मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का दायित्व है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटकों के आगमन में वृद्धि करने के लिए पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु 'स्वदेश दर्शन' और 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) पर राष्ट्रीय मिशन' की योजनाओं के तहत राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) के प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इन योजनाओं के अंतर्गत नई परियोजनाओं की स्वीकृति एक सतत प्रक्रिया है जो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से की जाती है और परियोजनाओं को निधियों की उपलब्धता, उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की प्रस्तुति, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और पहले जारी की गई निधियों के उपयोग आदि की शर्त पर स्वीकृत किया जाता है। बिहार में स्वदेश दर्शन और प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ङ): कोविड महामारी के आलोक में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन आगमनों को फिर से पूर्वरूप में लाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण **अनुबंध-III** में दिया गया है।

****

अनुबंध -I

घरेलू पर्यटकों से उत्पन्न राजस्व के संबंध में दिनांक 26.07.2021 के लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या +1043 के भाग (क) के उत्तर में **विवरण**

पिछले पांच वर्षों (2016 से 2020) के दौरान घरेलू पर्यटक यात्राएं (डीटीवी)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2016	2017	2018	2019	2020
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	384552	471919	498279	505398	191207
2.	आंध्र प्रदेश	153163354	165433898	194767874	237051508	70828590
3.	अरुणाचल प्रदेश	385875	444005	512436	555639	42871
4.	असम	5160599	6052667	4710617	5447805	1266898
5.	बिहार	28516127	32414063	33621613	33990038	5638024
6.	चंडीगढ़	1182504	1425781	1538796	1563795	417953
7.	छत्तीसगढ	16534471	17350030	19329501	17304506	2810227
8.	दादरा और नगर हवेली	589074	614182	609435	618330	104959
9.	दमन और दीव	826201	858131	898824	897804	297436
10.	दिल्ली#	28460832	29114423	29114423	36467598	9583671
11.	गोवा	5650061	6895234	7081559	7127287	3258715
12.	गुजरात	42252909	48343121	54369873	58864661	19464517
13.	हरयाणा	7382995	6050325	4888952	4549017	2114731
14.	हिमाचल प्रदेश	17997750	19130541	16093935	16829231	3170714
15.	जम्मू और कश्मीर	9414579	14235473	17076315	16163330	2574704
16.	झारखंड	33389286	33723185	35408822	35580768	2519524
17.	कर्नाटक	129762600	179980191	214306456	227934714	77453339
18.	केरल	13172536	14673520	15604661	18384233	4988972
19.	लक्षद्वीप	8716	6620	10435	6985	3462
20.	मध्य प्रदेश	150490339	78038522	83969799	88707139	23519632
21.	महाराष्ट्र#	116515801	119191539	119191539	149294703	39234591
22.	मणिपुर	150638	153454	176109	167560	49669
23.	मेघालय	830887	990856	1198340	1245633	24734
24.	मिजोरम	67238	67772	76551	163762	30890
25.	नगालैंड	58178	63362	101588	125949	10979
26.	उड़ीसा	12842766	14011229	15208540	15307637	4622273

27.	पुदुचेरी	1398289	1531972	1616660	1713248	1114942
28.	पंजाब	38703326	40293352	44595061	47385387	16692197
29.	राजस्थान	41495115	45916573	50235643	52220431	15117239
30.	सिक्किम	747343	1375854	1426127	1421823	316408
31.	तमिलनाडु	343812413	345061140	385909376	494865257	140651241
32.	त्रिपुरा	370618	398669	414388	437201	39997001
33.	तेलंगाना	95160830	85266596	92878329	83035894	127815
34.	उत्तर प्रदेश	213544204	233977619	285079848	535855162	86122293
35.	उत्तराखंड	30505363	34359989	35609650	37585920	7005264
36.	पश्चिम बंगाल	74460250	79630345	85657365	92366025	28841732
37.	लद्दाख	-	-	-	241285	6743
	कुल	**1615388619**	**1657546152**	**1853787719**	**2321982663**	**610216157**

स्रोत : राज्य/संघ राज्यक्षेत्र पर्यटन विभाग

वर्ष 2017 के आंकड़ों की 2018 में पुनरावृत्ति की गई है । इसके अलावा वर्ष 2019 और 2020 के लिए क्रमश: वर्ष 2018 के लिए 2019/18 की अखिल भारतीय विकास दर तथा वर्ष 2019 के लिए 2020/19 की अखिल भारतीय विकास दर के आधार पर अनुमान लगाया गया है ।

****

अनुबंध-II

घरेलू पर्यटन से उतपन्न राजस्व के संबंध में दिनांक 26.07.2021 के लोकसभा लिखित प्रश्न संख्या +1043 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में **विवरण**

बिहार में 18 जुलाई, 2021 तक स्वदेश दर्शन और प्रशाद योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं का विवरण

(करोड़ रु में)

क्र. सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**परियोजना का नाम**	**योजना का नाम**	**परियोजना लागत**	**वर्ष**
1.	बिहार	विष्णुपद मंदिर, गया, बिहार में मूलभूत सुविधाओं का विकास **	प्रसाद	4.27	2014-15
2.	बिहार	पटना साहिब में विकास**	प्रसाद	41.54	2015-16
3.	बिहार	वैशाली- आरा- मसद- पटना- राजगीर- पावापुरी- चम्पापुरी का विकास.	स्वदेश दर्शन	37.19	2016-17
4.	बिहार	कांवड़िया मार्ग: सुल्तानगंज- मोजमा- बांका का एकीकृत विकास	स्वदेश दर्शन	44.76	2016-17
5.	बिहार	बोधगया में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण	स्वदेश दर्शन	98.73	2016-17
6.	बिहार	गांधी सर्किट : भितिहारवा-द्रहियाचं- तुरकौलिया का विकास	स्वदेश दर्शन	44.65	2017-18
7.	बिहार	मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास	स्वदेश दर्शन	47.52	2017-18
** परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूर्ण हो गई हैं.					

****

अनुबंध -III

घरेलू पर्यटन से उतपन्न राजस्व के संबंध में दिनांक 26.07.2021 के लोकसभा लिखित प्रश्न संख्या +1043 के भाग (ङ) के उत्तर में **विवरण**

कोविड महामारी के आलोक में पर्यटन और आतिथ्य उद्योग की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्यटन यात्राओं का पुनरुत्थान करने के लिए सरकार द्वारा घोषित विभिन्न वित्तीय और राहत उपाय निम्नलिखित हैं:

i. सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की जिसके माध्यम से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए 3 लाख करोड़ रुपये का संपार्श्विक मुक्त स्वचालित ऋण उपलब्ध कराया गया है। ऋण में 4 साल का कार्यकाल और 12 महीने की ऋण-स्थगन की मोहलत होगी।

ii. सरकार ने 100 से कम कार्मिकों वाले और जिनके 90% कर्मचारियों की आय 15000 रुपये से कम, संगठनों के लिए भविष्य निधि योगदान को तीन महीने के लिए माफ कर दिया।

iii. आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत, तीन महीने के लिए ईपीएफओ द्वारा कवर किए गए सभी प्रतिष्ठानों के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के भविष्य निधि योगदान को मौजूदा 12% से घटाकर 10% कर दिया गया है।

iv. स्रोत पर कर एकत्रण (टीसीएस) को अक्टूबर 2020 तक के लिए स्थकगित कर दिया गया है।

v. पांच करोड़ रुपये तक की कंपनियों के लिए बिना किसी दंडात्मक ब्याज के रिटर्न फाइलिंग तीन महीने के लिए स्थगित, बाकी पर 9% की दर से दंडात्मक ब्याज।

vi. केंद्र सरकार ने व्यापार निरंतरता और अस्तित्व सुनिश्चित करने के लिए कोविड -19 महामारी के संकट के मद्देनजर अलग-अलग अवधि के लिए आयकर अधिनियम, कंपनी अधिनियम और जीएसटी अधिनियम के तहत विभिन्न नियामक अनुपालनों से राहत दी।

vii. भारतीय रिजर्व बैंक ने आवधिक ऋण पर स्थगन 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ा दिया है।

viii. वित्त मंत्रालय द्वारा वित्त वर्ष 2019-20 में प्रदान की गई सेवाओं के लिए भारत से सेवा निर्यात योजना (एसईआईएस) को लागू करने के लिए धन का उपयुक्त प्रावधान अब वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया है।

ix. भारत सरकार ने पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और व्यावसायिक उद्यमों को उनकी परिचालन देनदारियों को पूरा करने और अपने व्यवसाय को फिर से शुरू करने में सहायता करने के लिए आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) शुरू की है।

x. ईसीएलजीएस 3.0 की शुरूआत के साथ आतिथ्य, यात्रा और पर्यटन और आराम और खेल क्षेत्रों में व्यावसायिक उद्यमों को कवर करने के लिए योजना का दायरा बढ़ाया गया है। यह योजना 31.03.2021 तक वैध है।

xi. ईसीएलजीएस (ईसीएलजीएस 1.0, ईसीएलजीएस 2.0 और ईसीएलजीएस 3.0) की वैधता को 30.06.2021 तक या 3 लाख करोड़ रुपये की राशि की गारंटी जारी होने तक बढ़ा दिया गया है। योजना के तहत संवितरण की अंतिम तिथि 30.09.2021 तक बढ़ा दी गई है।

xii. 16.06.2021 को, माननीय वित्त मंत्री ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप (शेयर) जारी करने की घोषणा की है।

xiii. 11,000 से अधिक पंजीकृत पर्यटक गाइड/ यात्रा और पर्यटन हितधारकों को वित्तीय सहायता। कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए नई ऋण गारंटी योजना के तहत पर्यटन क्षेत्र के लोगों को कोविड-19 के कारण प्रभावित होने के बाद देनदारियों के निर्वहन और फिर से शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी/ व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। इस योजना में पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त 10,700 क्षेत्रीय स्तर के पर्यटक गाइड और राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त पर्यटक गाइड और पर्यटन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त यात्रा और पर्यटन हितधारक (टीटीएस) शामिल होंगे। टीटीएस रुपये तक का ऋण पाने के लिए पात्र होंगे। प्रत्येक को 10 लाख जबकि पर्यटक गाइड प्रत्येक को एक लाख रुपये तक का ऋण ले सकते हैं। कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं होगा, फोरक्लोज़र/पूर्व भुगतान शुल्क में छूट और अतिरिक्त संपार्श्विक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। पर्यटन मंत्रालय द्वारा एनसीजीटीसी के माध्यम से संचालित की जाने वाली योजना है।

xiv. 5 लाख मुफ्त पर्यटक वीजा: घोषणा के अनुसार, वीजा जारी होने के बाद, पहले पांच लाख पर्यटक वीजा मुफ्त में जारी किए जाएंगे। पहले पांच लाख पर्यटक वीजा (नि:शुल्क वीजा) जारी करने के दौरान प्रति पर्यटक केवल एक बार नि:शुल्क वीजा का लाभ मिलेगा। यह योजना 31 मार्च 2022 तक या 5,00,000 वीजा जारी होने तक, जो भी पहले हो, लागू होगा।

xv. वित्त मंत्रालय ने 16.06.2021 को एसईआईएस स्क्रिप जारी करने की सहमति दी है। इससे पहले, कई उद्योग हितधारकों ने 2019-20 के लिए एसईआईएस स्क्रिप्स जारी करने के लिए सरकार से अपील की थी और डीजीएफटी ने 2019-20 के दौरान किए गए निर्यात के लिए एसईआईएस के आवंटन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव रखा था। सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने 2061 करोड़ रुपये के वित्तीय आवंटन के साथ 2019-20 के लिए एसईआईएस जारी रखने के वाणिज्य विभाग के प्रस्ताव को इस शर्त के अधीन सहमति दी है कि राशि एक नया लघु शीर्ष प्रदान करने की प्रक्रिया का पालन करते हुए व्यय बजट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

xvi. इन उपरोक्त कदमों से इस क्षेत्र के हितधारकों को बहुत आवश्यक तरलता प्रदान करने और निकट भविष्य में संचालन के लिए तैयार होने में काफी मदद मिलने की आशा है। इसी तरह, सरकार द्वारा अनुमोदित पर्यटन गाइडों को भी आवश्यक राहत प्रदान करने की भी आशा है जो महामारी के कारण क्षेत्र में चल रही मंदी से प्रभावित हुए हैं।

xvii. वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना के तहत, निम्नलिखित उप-श्रेणियों को अवसंरचना के उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में

"सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना" की श्रेणी में शामिल किया गया था: (i) 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के बाहर स्थित तीन सितारा या उच्च श्रेणी के वर्गीकृत होटल, (ii) रोपवे और केबल कार।

xviii. इसके अलावा, अधिसूचना दिनांक 26 अप्रैल, 2021 के माध्यम से, "प्रदर्शन-सह-सम्मेलन केंद्र" को एक फुटनोट के साथ, प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र को परिभाषित करते हुए, "सामाजिक और वाणिज्यिक अवसंरचना" की श्रेणी में एक नई वस्तु को सम्मिलित करके अवसंरचना उप-क्षेत्रों की सामंजस्यपूर्ण मास्टर सूची में शामिल किया गया है।

xix. मंत्रालय में कई दौर की चर्चाओं और विचार-मंथन सत्रों के माध्यम से उद्योग के हितधारकों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहा है और उनके सुझावों की सावधानीपूर्वक जांच की है। ऐसे सभी प्रस्तावों को भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों और विभागों के साथ उठाया गया है। इसी प्रकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित राहत उपायों से संबंधित मुद्दों को उनके साथ उच्चतम स्तर पर उठाया गया है।

xx. यात्रा और आतिथ्य उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के साथ व्यवसाय की सुरक्षित बहाली के लिए परिचालन सिफारिशें जारी की गई हैं और सभी हितधारकों के बीच परिचालित की गई हैं।

xxi. कोविड-19 के पश्चा त पुनरुद्धार की तैयारी की दृष्टि से, मंत्रालय ने 08.06.2020 को होटल, रेस्तरां, बीएंडबी/होम स्टे और पर्यटन सेवा प्रदाताओं के लिए कोविड सुरक्षा और स्वच्छता के लिए विस्तृत परिचालन दिशानिर्देश तैयार और जारी किए हैं ताकि व्यवसाय को सुचारू रूप से फिर से शुरू किया जा सके।

xxii. होटल, रेस्तरां, बी एंड बी और अन्य इकाइयों के सुरक्षित संचालन के लिए कोविड -19 और उससे आगे के संदर्भ में जारी दिशानिर्देशों / एसओपी के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ''साथी'' (आतिथ्य उद्योग के लिए आकलन, जागरूकता और प्रशिक्षण के लिए प्रणाली) नामक एक पहल विकसित की गई है।

xxiii. इसके अलावा, पर्यटन मंत्रालय ने दिनांक 08.12.2020 को पर्यटन सेवा प्रदाताओं की मान्यता के लिए संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं जो जनवरी, 2021 से प्रभावी हैं। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीनशूट/स्टार्ट-अप एजेंसियों की श्रेणी पहली बार शुरू की जा रही है। यह सरकार की नीति के अनुरूप है। स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' की नीति को भी आगे बढ़ाएगा।

xxiv. पर्यटन उद्योग में हितधारकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता योजना (एमडीए) के दिशा-निर्देशों को योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके। ऑनलाइन प्रचार सहित अतिरिक्त प्रचार गतिविधियों को शामिल किया गया है और अनुमेय वित्तीय सहायता की सीमा को बढ़ाया गया है।

xxv. इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि पर्यटन क्षेत्र में पुनरुद्धार बड़े पैमाने पर घरेलू पर्यटन द्वारा किया जाएगा, मंत्रालय ने ''देखो अपना देश'' के समग्र विषय के तहत वेबिनार की

एक श्रृंखला की व्यवस्था शुरू की। इसका उद्देश्य जागरूकता पैदा करना और साथ ही हितधारकों, छात्रों और आम जनता के बीच रुचि बनाए रखना है।

xxvi. होटल और अन्य आवास इकाइयों के अनुमोदन या प्रमाणन की वैधता, जिनकी परियोजना अनुमोदन/ पुन: अनुमोदन और वर्गीकरण/ पुनर्वर्गीकरण समाप्त हो गया है / समाप्त होने की संभावना है, को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है।

xxvii. पर्यटन मंत्रालय द्वारा ट्रैवल एजेंटों, टूर ऑपरेटरों, पर्यटक परिवहन ऑपरेटरों की मान्यता को स्वचालित रूप से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। जिन लोगों ने मंत्रालय द्वारा मान्यता के लिए आवेदन जमा किए हैं, उन्हें आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने तक छह महीने के लिए अनंतिम मान्यता दी गई है।

xxviii. विदेश संवर्धन और प्रचार योजना के तहत विपणन विकास सहायता कार्यक्रम के दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है ताकि योजना के दायरे और पहुंच को बढ़ाया जा सके, ताकि पर्यटन उद्योग में हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके।

****